यूजर मैन्युअल

मॉडल शॉप की ई-ऑक्शन

आबकारी विभाग से सम्पादित की जाने वाली कार्यवाही

Excise Admin https://sso.rajasthan.gov.in **में अपने SSO ID से लॉगिन करें** :-

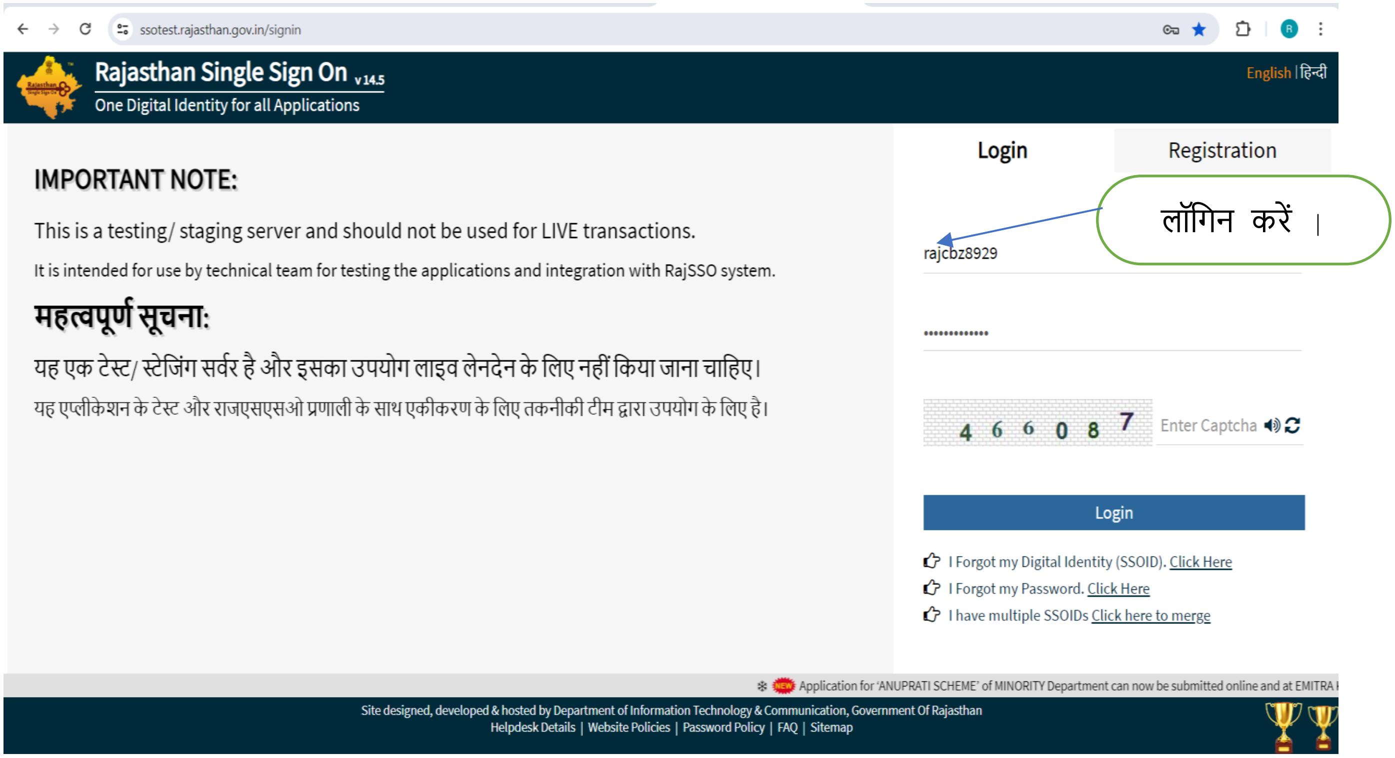

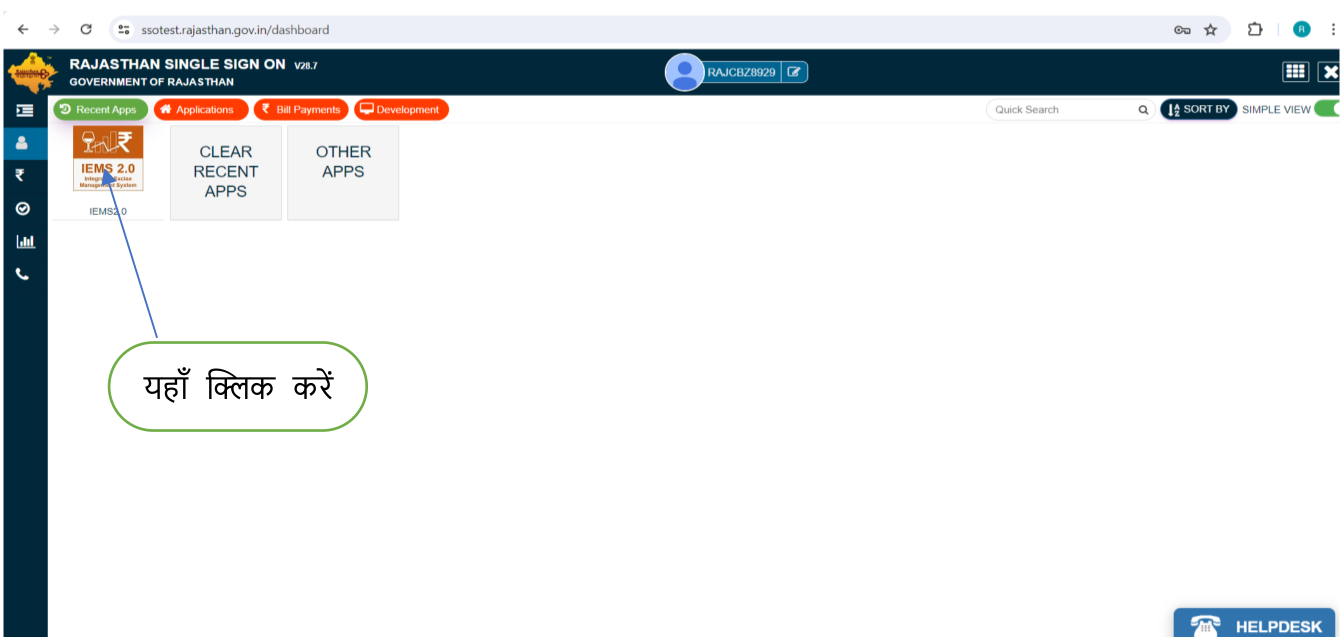

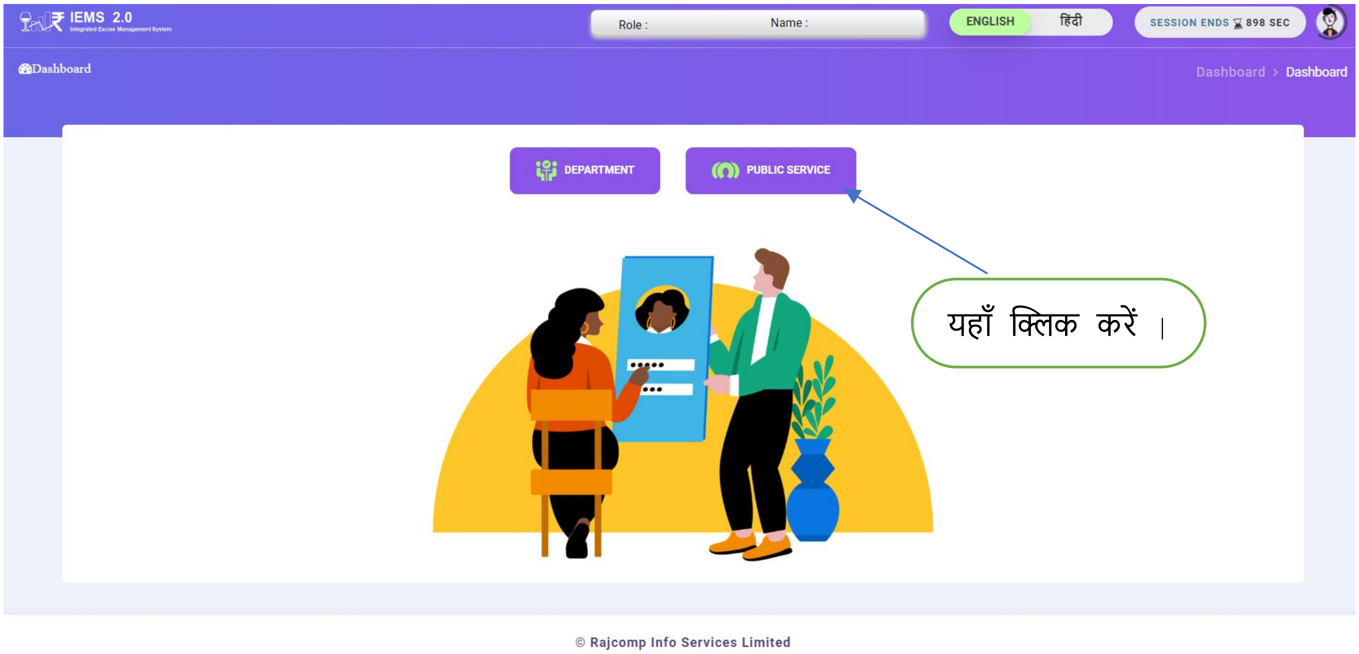

Action पर क्लिक करें।

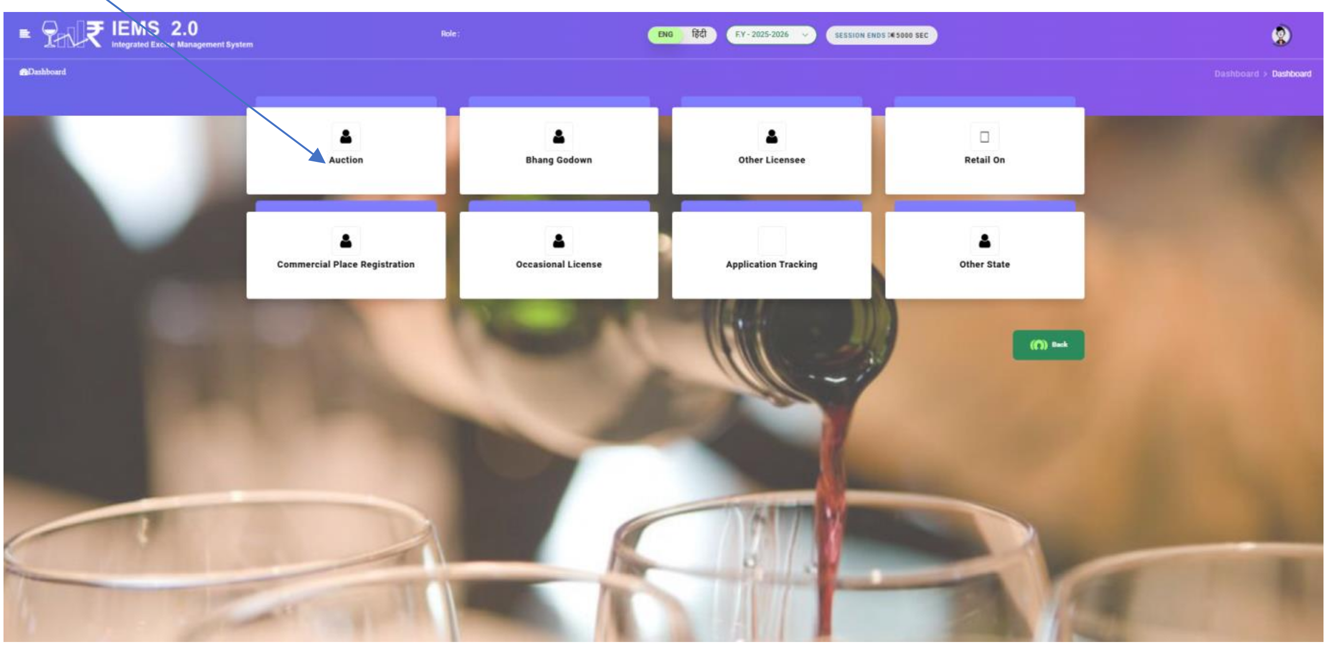

“**Login**” करने के उपरान्त निम्नानुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी :-

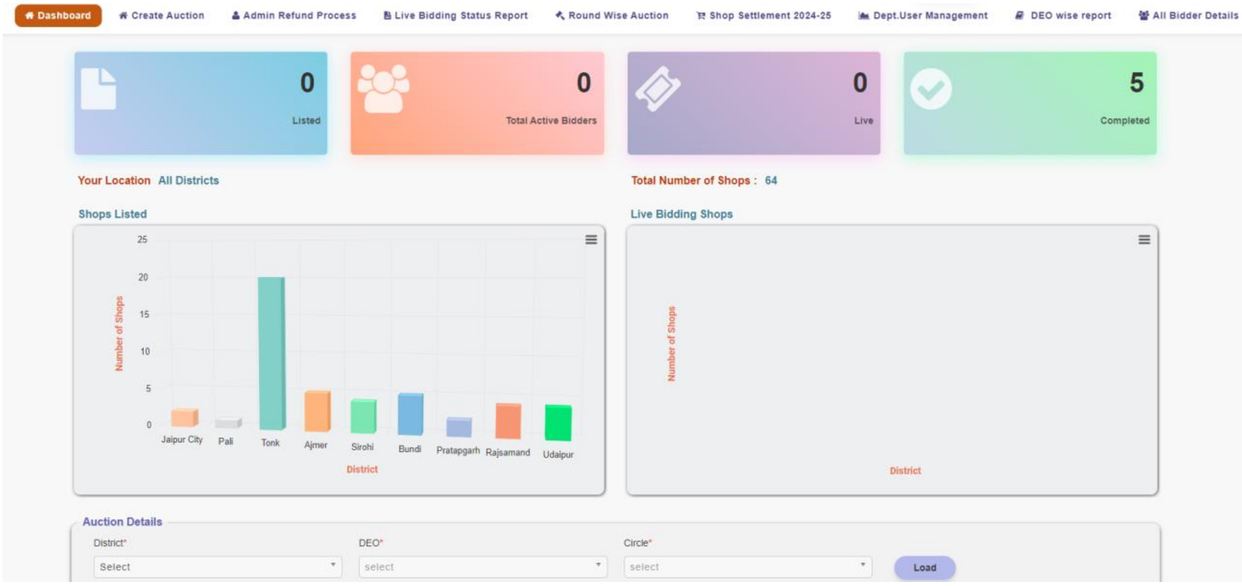

e-**Auction** का **Schedule Create** करनी होगी जिसके लिए "**Create Auction**" पर क्लिक करना होगा| इस प्रक्रिया में ई-ऑक्शन से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाएँ यथा ऑक्शन की तिथि, समय आदि सूचनाएँ दर्ज की जाती हैं |

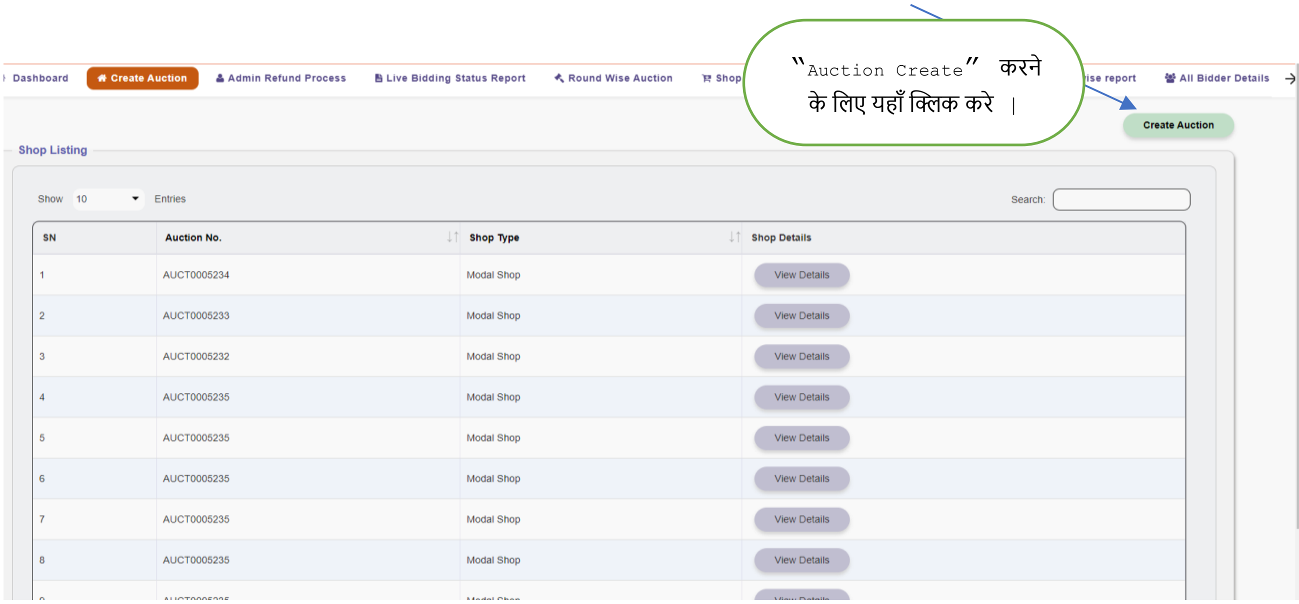

नीचे दर्शित स्क्रीन में ई - ऑक्शन से सम्बन्धित समस्त डाटा दर्ज कर "Save" करे :-

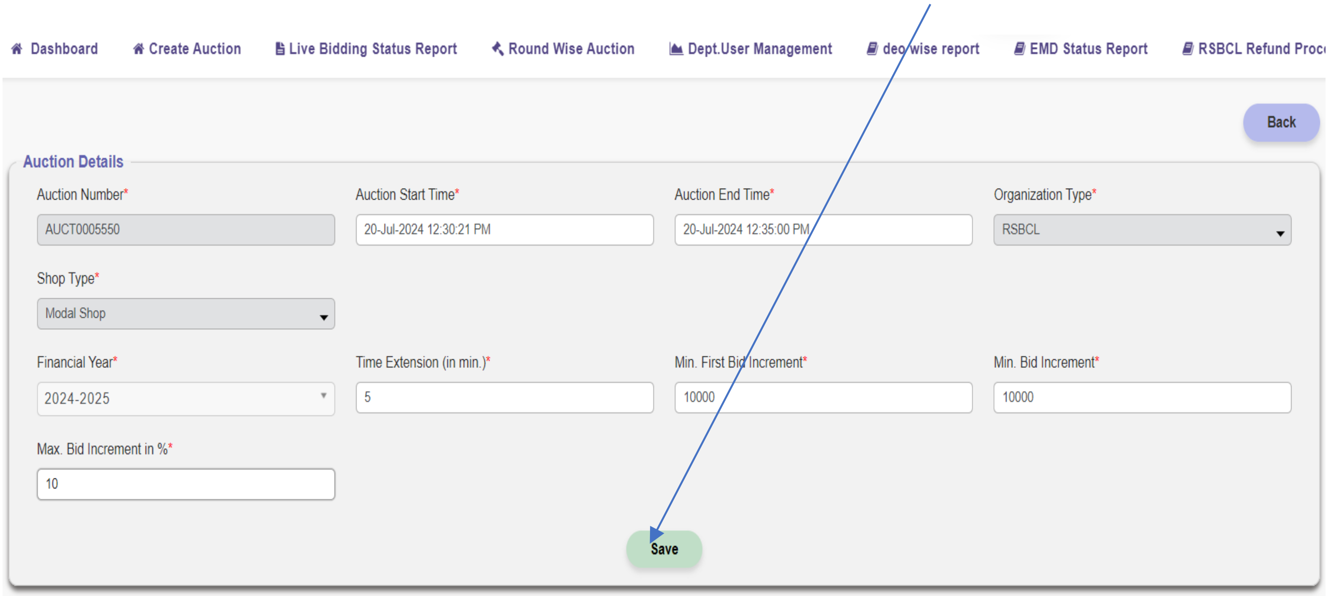

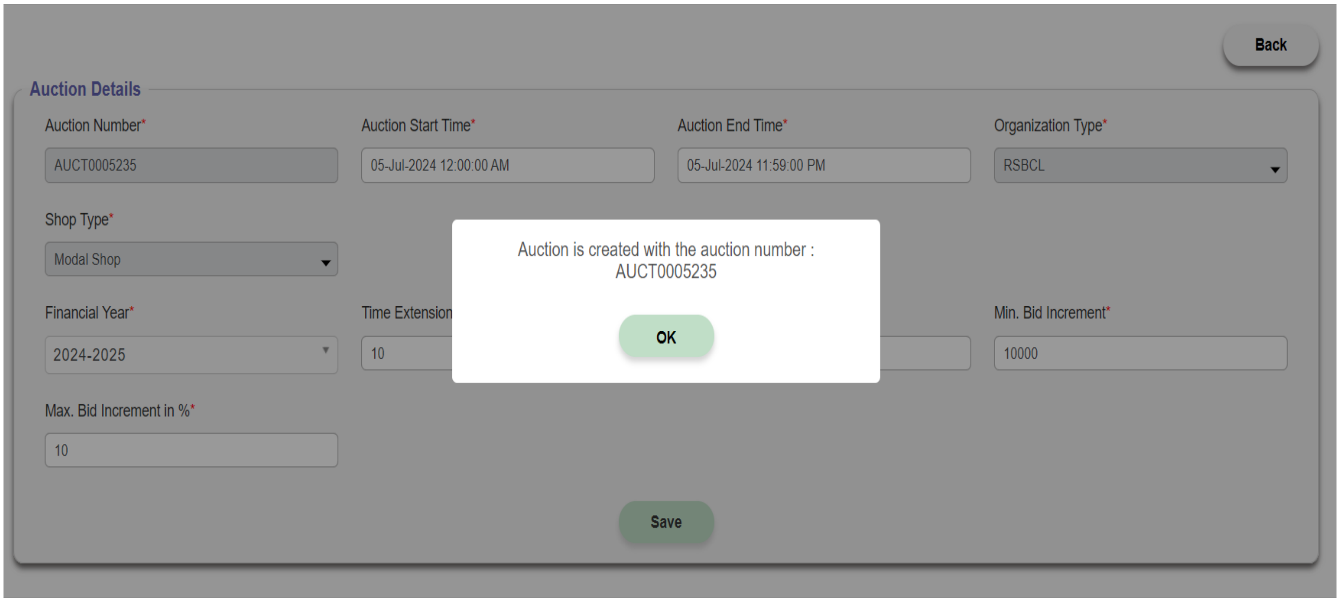

एक से अधिक तिथियों में ई-ऑक्शन किये जाने की स्थिति में प्रत्येक ई-ऑक्शन दिवस के लिए उक्त प्रक्रिया द्वारा सूचनाएँ दर्ज की जाएं |

उक्त प्रक्रिया के उपरान्त, प्रत्येक दुकान की ई-ऑक्शन तिथि निर्धारित करनी होगी | इसके लिए Round Wise Shop लिंक पर क्लिक करने पर ई-ऑक्शन योग्य समस्त दुकानों की सूची यहाँ प्रदर्शित होगी | दुकानो की ऑक्शन तिथि निर्धारित करने के लिए Add Shop बटन पर क्लिक करें :-

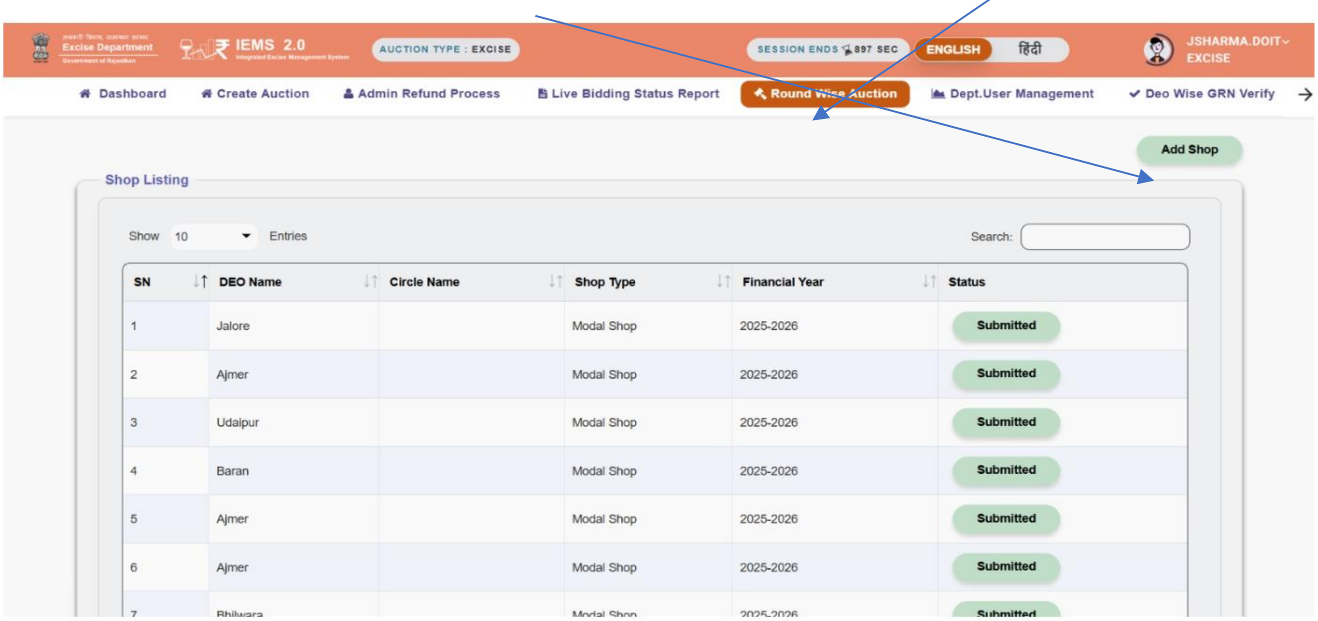

निम्नानुसार प्रदर्शित स्क्रीन में प्रत्येक दुकान की ऑक्शन तिथि निर्धारित करें | एक ही तिथि होने की स्थिति में "Auction Date" कॉलम में एक ही निर्धारित तिथि स्वतः दर्शित होगी | एक से अधिक तिथि होने की स्थिति में उचित ऑक्शन तिथि को सलेक्ट करें एवं "Final Submit" बटन पर क्लिक करें :-

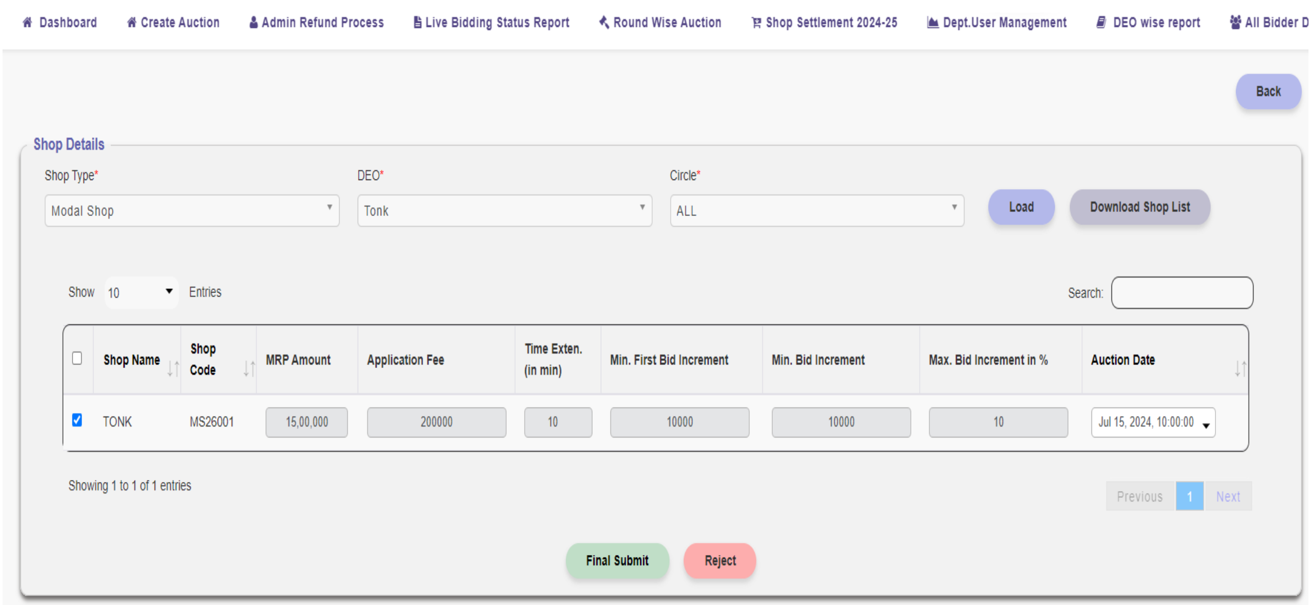

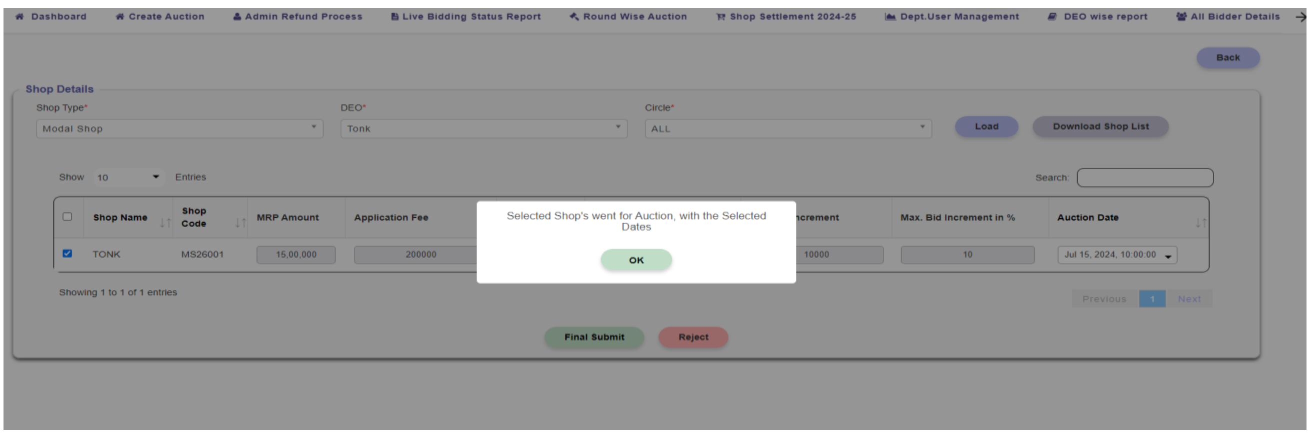

उक्तानुसार सूचनाएँ दर्ज करने के उपरान्त दुकानें बोलीदाता को उसके लॉगइन पर प्रदर्शित होने लगेंगी एवं बोलीदाता अपने इच्छानुसार दुकान को चुन कर आवश्यक फीस जमा करा कर ई-ऑक्शन में भाग ले सकेगें |

निर्धारित तिथि एवं समय पर ई-ऑक्शन प्रक्रिया शुरू होगी जिसमे दुकानें बोलीदाताओं को ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्वतः प्रदर्शित होंगी एवं निर्धारित समय पर स्वतः ही ई-ऑक्शन प्रक्रिया बन्द हो जाएगी |

बोलीदाता से सम्बन्धित कार्यवाही

बोलीदाता, वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in खोलें और अपने SSO ID से लॉग इन करें :-

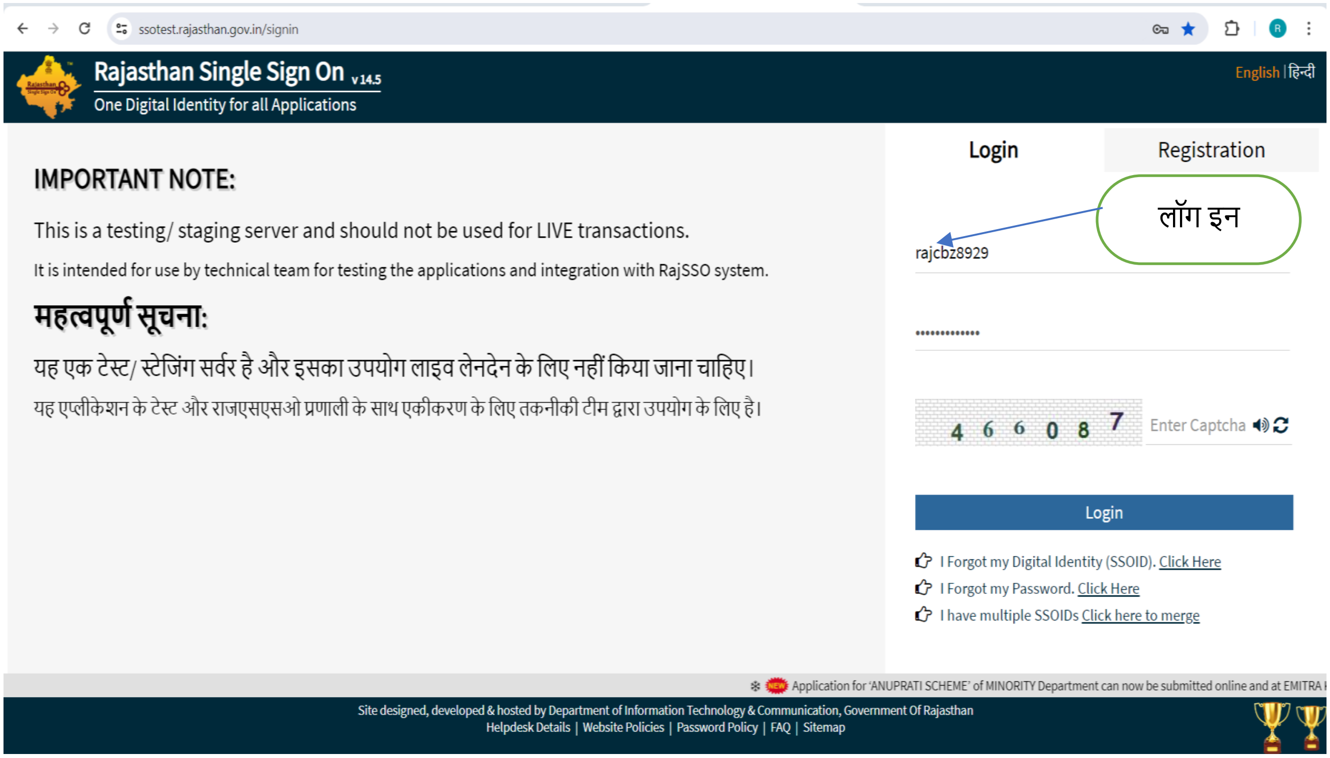

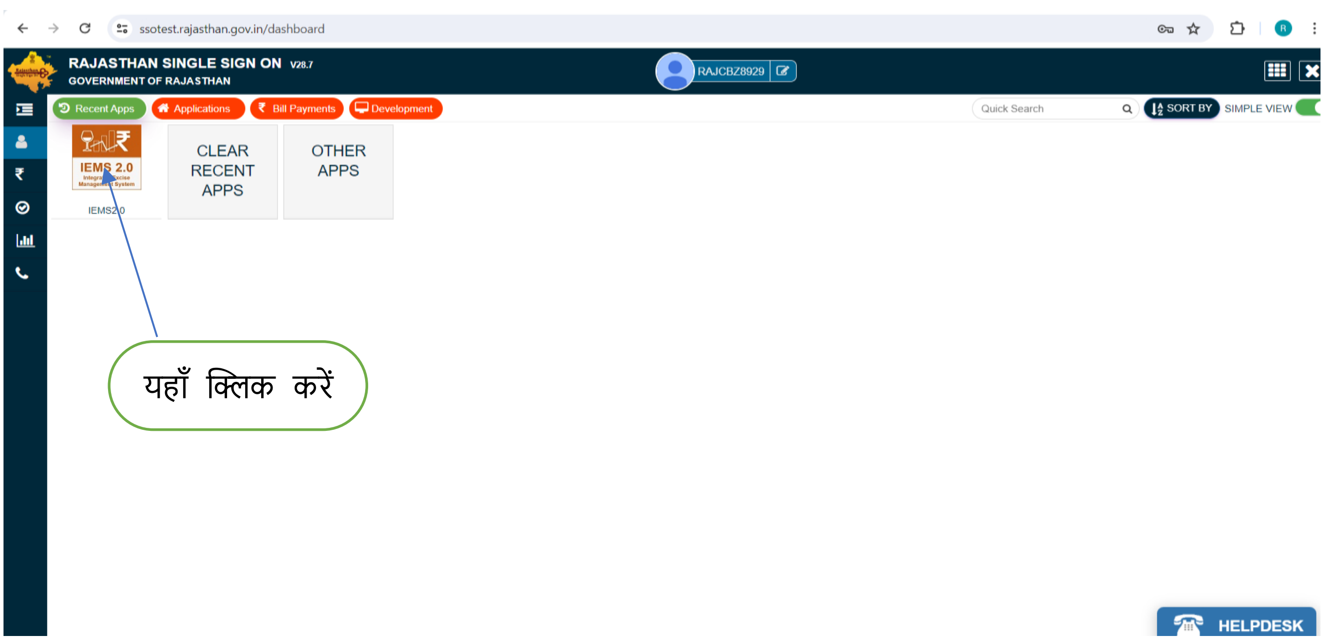

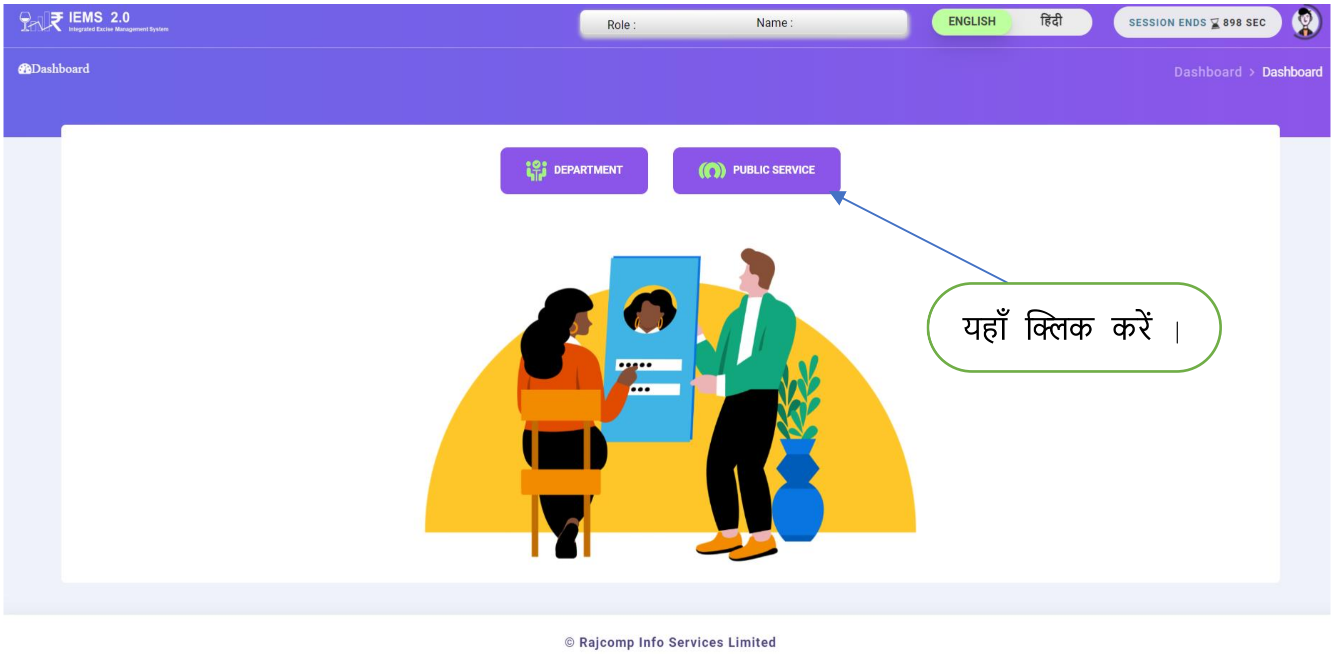

Action पर क्लिक करें।

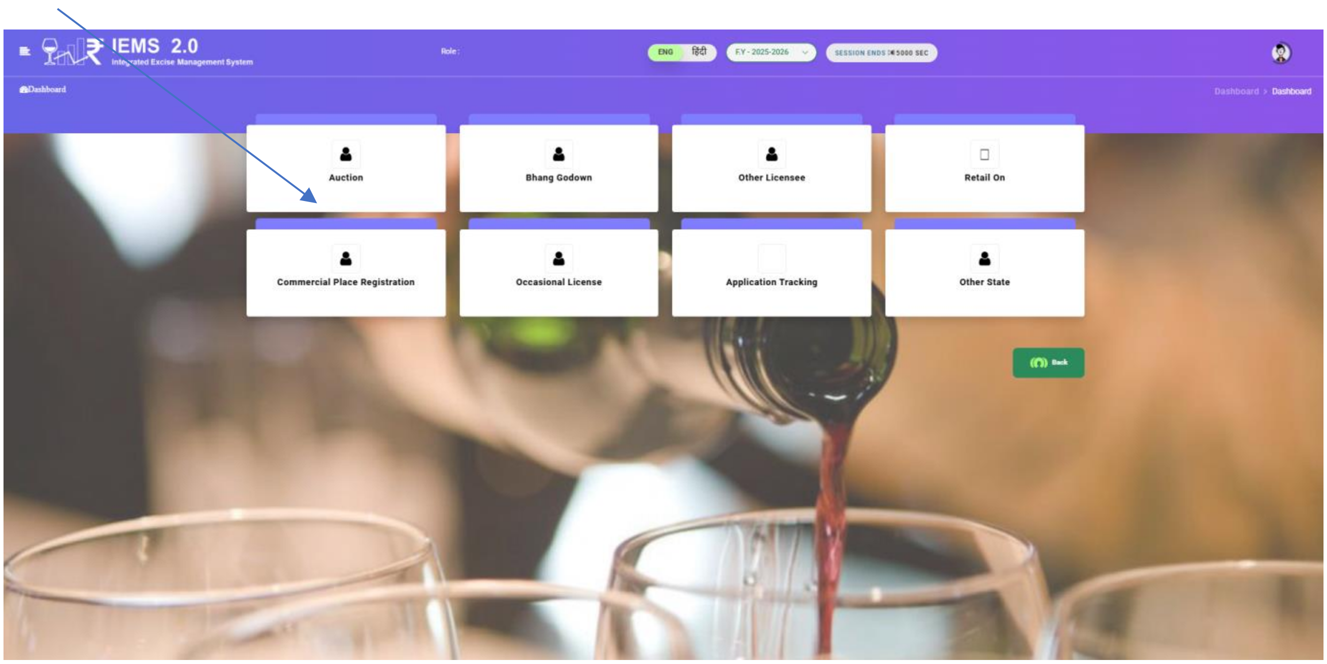

निम्नानुसार प्रदर्शित स्क्रीन पर **Select Type** में "**Modal**" सलेक्ट करें और "Submit" बटन पर क्लिक करें :-

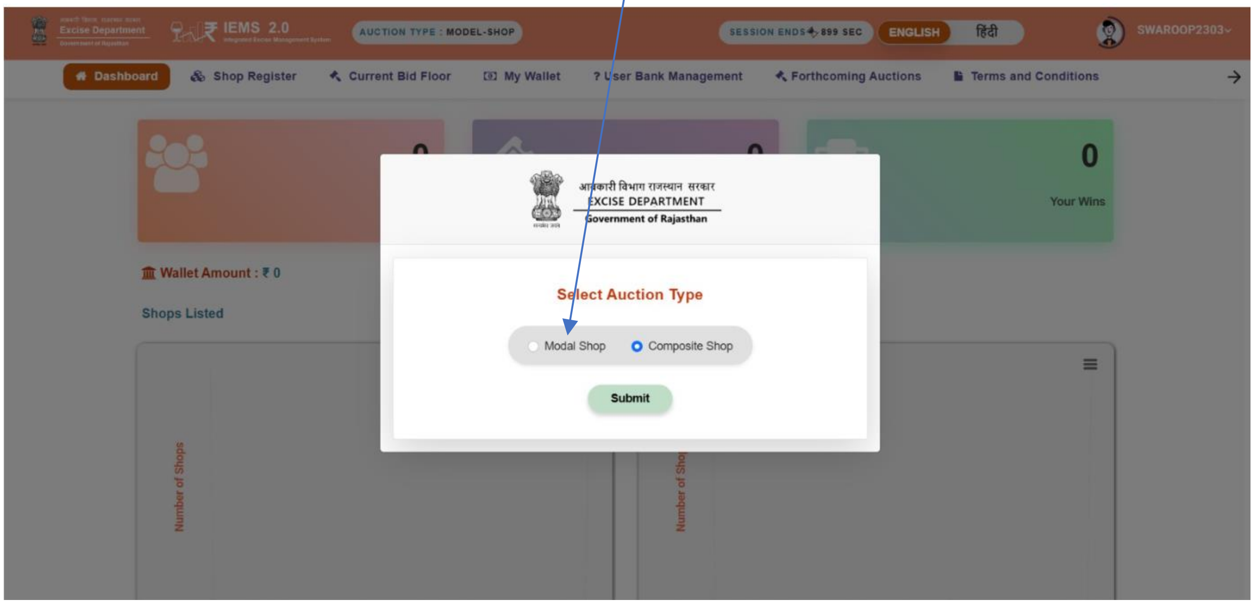

<u>बोलीदाता द्वारा Excise में राशि जमा कराया जाना</u>

बोलीदाता को ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए Registration Fee चुकानी होगी, इच्छित दुकानों जिनके लिए ऑक्शन में भाग लेना है को चुनना होगा एवं उनकी निर्धारित Application Fee चुकानी होगी | तत्पश्चात, ऑनलाइन ऑक्शन में भाग लेने के लिए EMD (प्रतिभूति राशि) भी चुकानी होगी |

इसके लिए बोलीदाता को सर्वप्रथम एकबारीय Registration Fee, दुकानों जिनकी ऑनलाइन ऑक्शन में भाग लिया जाना है के अनुसार Application Fee एवं इच्छित दुकानों के लिए जिस सीमा तक बोली लगाई जाने की क्षमता है के अनुसार EMD राशि की कुल गणना कर अन्य आगामी प्रक्रियाएं पूर्ण करने से पूर्व उसे आबकारी विभाग के ई-ऑक्शन पोर्टल में जमा करा दी जानी चाहिए क्योंकि दुकान को चुनते समय बोलीदाता को Registration Fee एवं दुकान हेतु आवश्यक Application Fee की आवश्यकता होगी | इसके पश्चात् ऑनलाइन ऑक्शन में भाग लेने से पूर्व EMD राशि की भी आवश्यकता होगी | अतः, बोलीदाता को इस पोर्टल पर उपलब्ध "Wallet" में उक्त समस्त मदों के अनुसार पर्याप्त राशि जमा रखनी होगी क्योंकि Wallet में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आगामी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होंगे |

Wallet में राशि जमा करने के लिए "My Wallet" लिंक पर क्लिक करें तथा प्रदर्शित स्क्रीन पर "Add Balance" बटन पर क्लिक करें

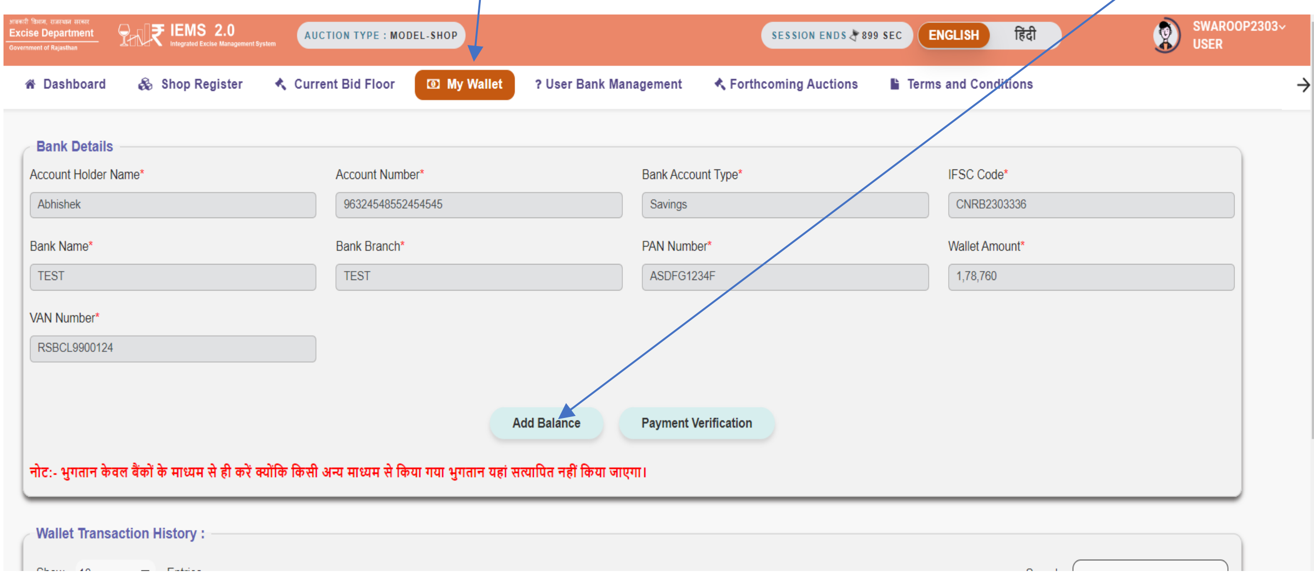

E -GRAS पोर्टल की वेबसाइट प्रदर्शित होगी “Continue” पर क्लिक करें|

E - GRAS पर अपना बैंक सेलेक्ट कर “Challan” बनायें |

इस प्रकार “E – GRAS” के माध्यम से चालान प्रदर्शित होगा|

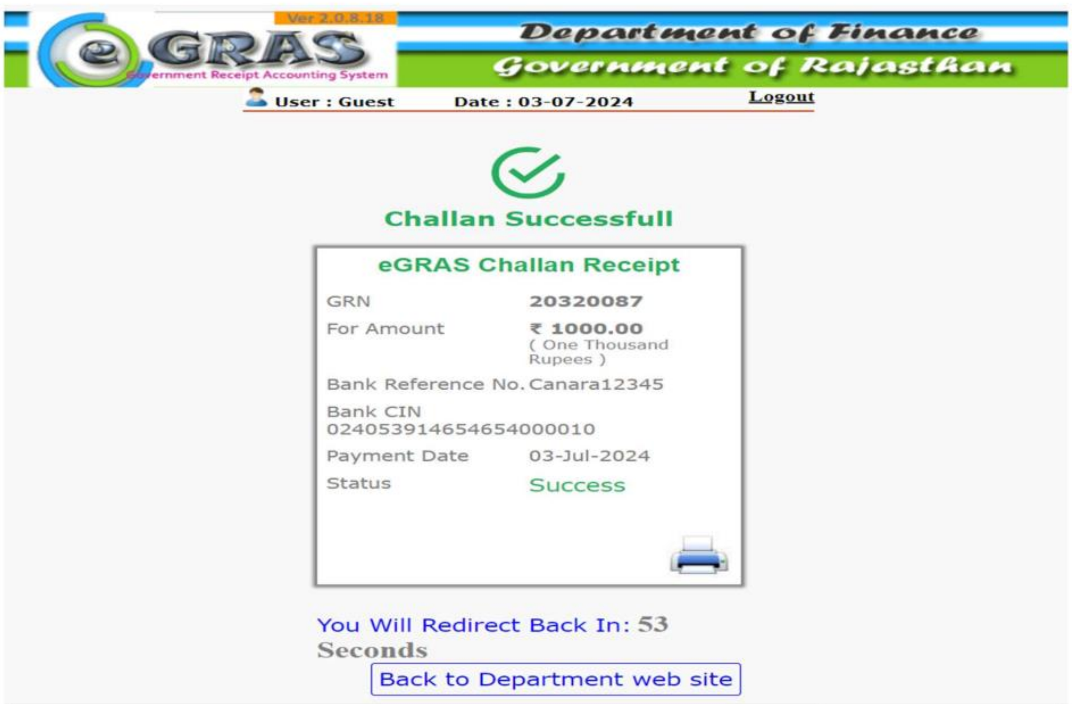

“My Wallet” लिंक से वॉलेट में उपलब्ध बैलेंस एवं उसमें होने वाले Transactions को पर देखा जा सकता है |

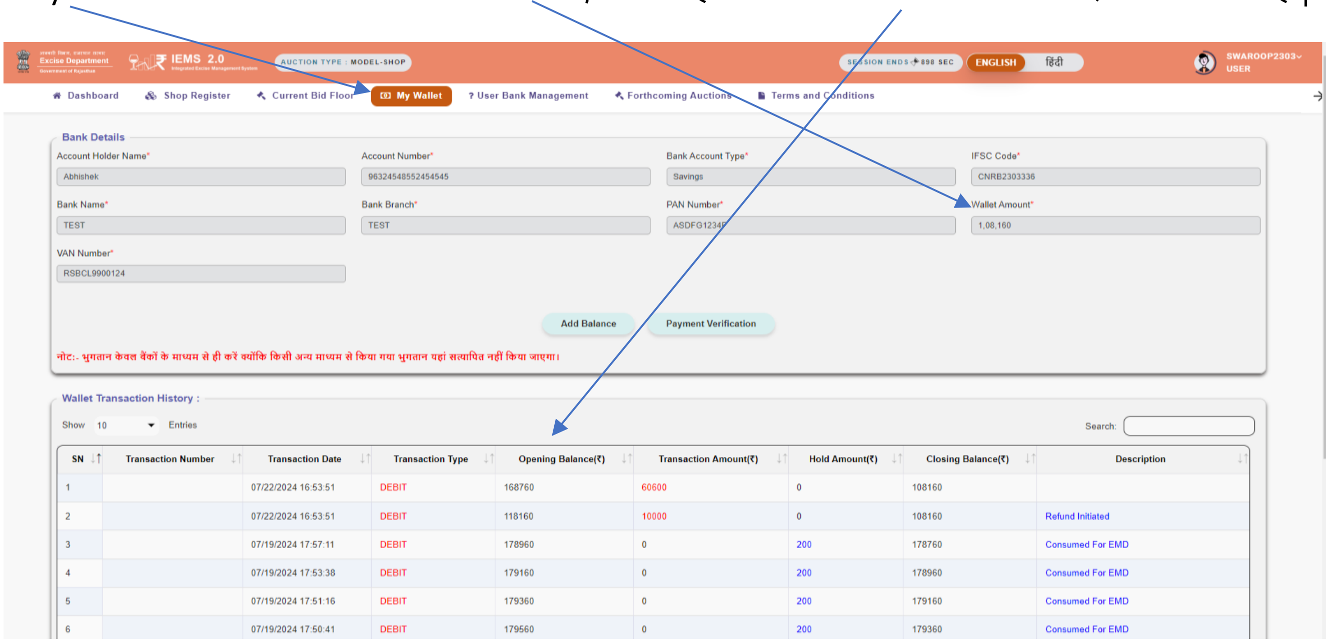

दुकान को रजिस्टर किये जाने की प्रक्रिया

वॉलेट में पर्याप्त राशि जमा कराने के उपरान्त बोलीदाता को दुकान को रजिस्टर करना चाहिए इसके लिए निम्नानुसार प्रदर्शित स्क्रीन पर **"Shop Register**" लिंक पर क्लिक करें :-

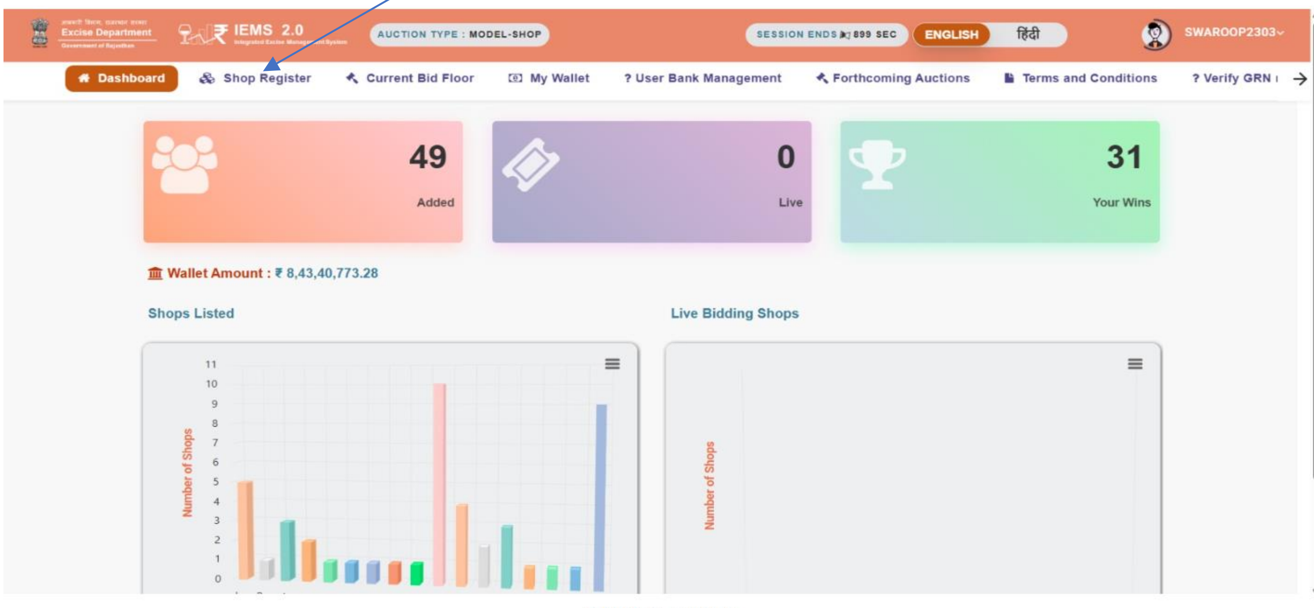

जिस जिले की दुकान की ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेना है के DEO को चुनें और Load Shops बटन पर क्लिक करें

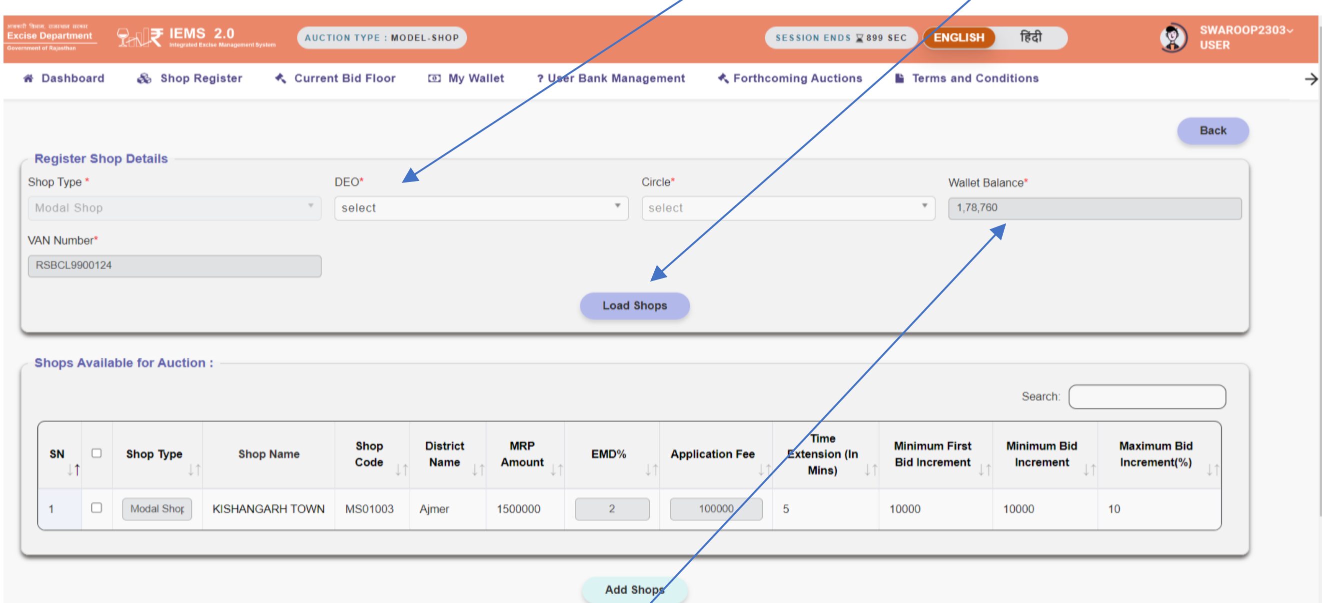

चुने गए DEO के अधीन ऑक्शन योग्य समस्त दुकानों की सूची प्रदर्शित होगी | परन्तु, दुकान को चुनते समय बोलीदाता को Registration Fee एवं दुकान हेतु आवश्यक Application Fee की आवश्यकता होगी | अतः, बोलीदाता को इस पोर्टल पर उपलब्ध "Wallet" में पर्याप्त राशि जमा रखनी होगी क्योंकि Wallet में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शॉप को रजिस्टर नहीं किया जा सकेगा | वॉलेट में उपलब्ध शेष को "Wallet Balance" कॉलम में देखा जा सकता है |

भुगतान की प्रकिया पूरी होने एवं वॉलेट में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर Shop Add की जा सकेगी | इसके लिए स्क्रीन पर "Shop Register" लिंक पर क्लिक कर "Add Shops" बटन पर क्लिक करें :-

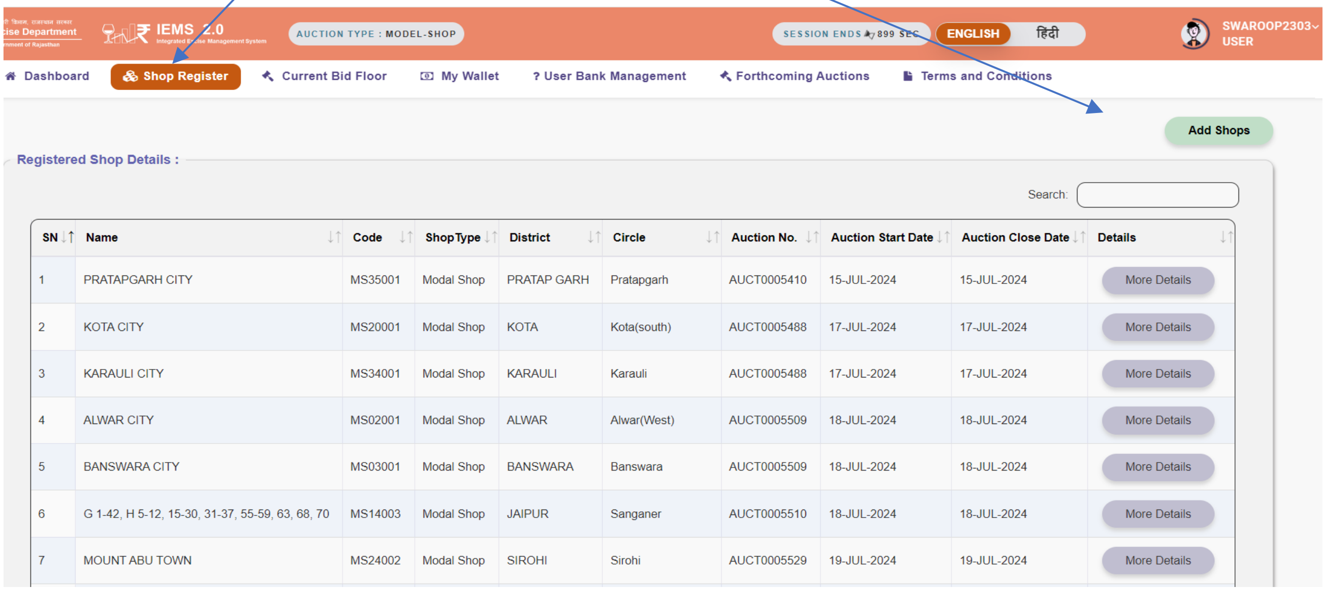

जिस शॉप पर ई-ऑक्शन में भाग लिया जाना है को सेलेक्ट (टिक) करें और Add Shops पर क्लिक कर Add करें

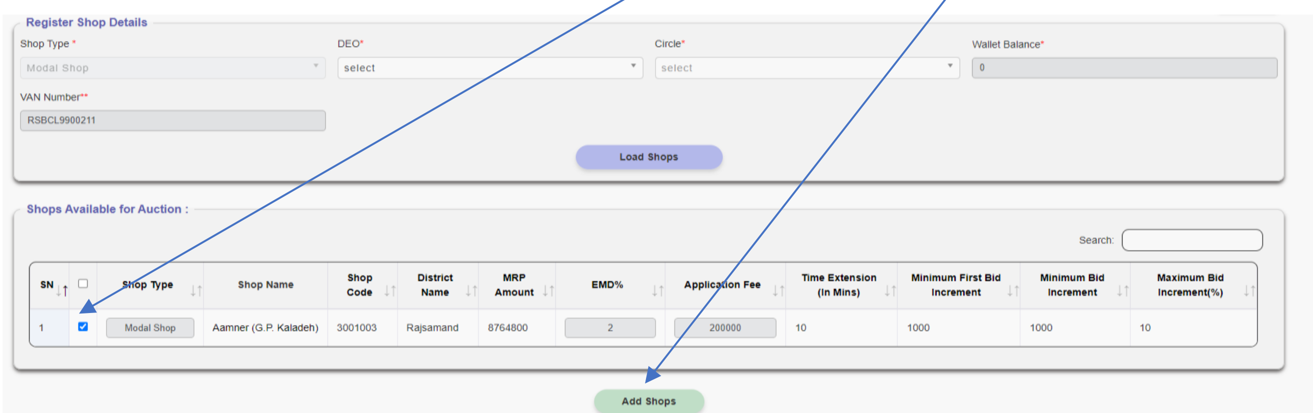

उक्त प्रक्रियानुसार एक से अधिक शॉप भी सेलेक्ट की जा सकती हैं |

Shop को Register करने के लिए "Submit and Pay" बटन पर क्लिक करें

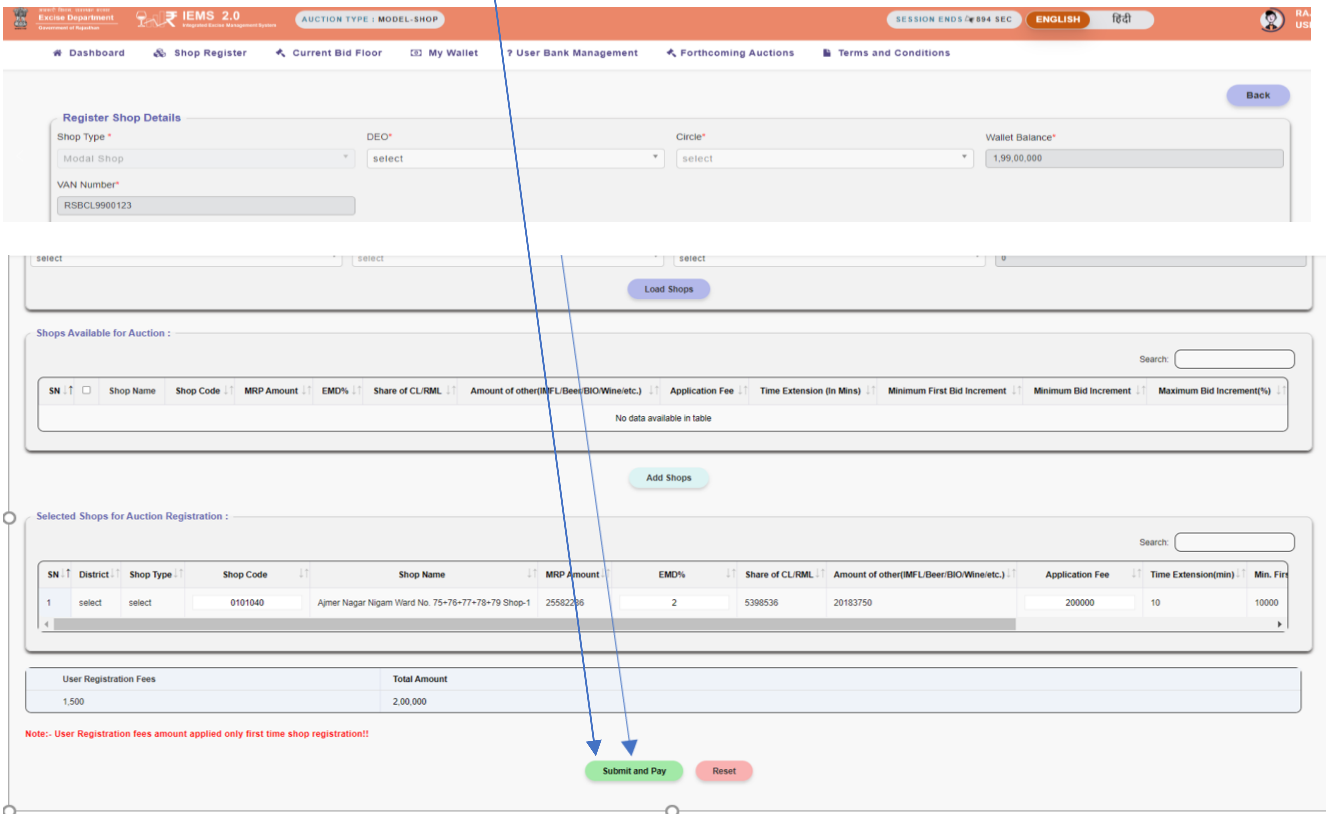

E -GRAS पोर्टल की वेबसाइट प्रदर्शित होगी "Continue" पर क्लिक करें|

E - GRAS पर अपना बैंक सेलेक्ट कर "Challan" बनायें |

बैंक सेलेक्ट करें |

इस प्रकार “E – GRAS” के माध्यम से चालान प्रदर्शित होगा।

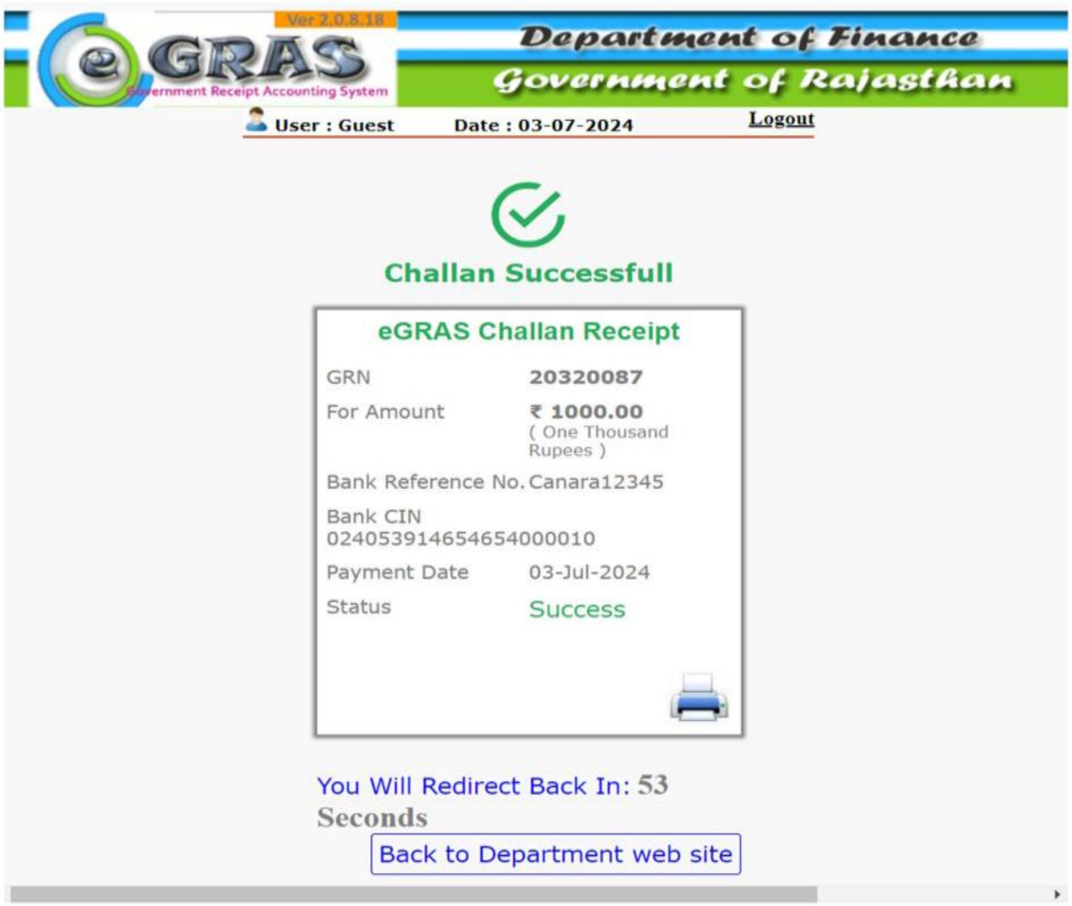

ऑनलाइन ऑक्शन में भाग लेने की प्रक्रिया

ई-ऑक्शन की निर्धारित तिथि एवं समय पर ई-ऑक्शन प्रक्रिया पोर्टल पर स्वतः प्रारम्भ होगी | तत्समय, बोलीदाता ई-ऑक्शन में भाग ले सकते हैं | इसके लिए "Current Bid Floor" पर क्लिक करें निम्नानुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी :-

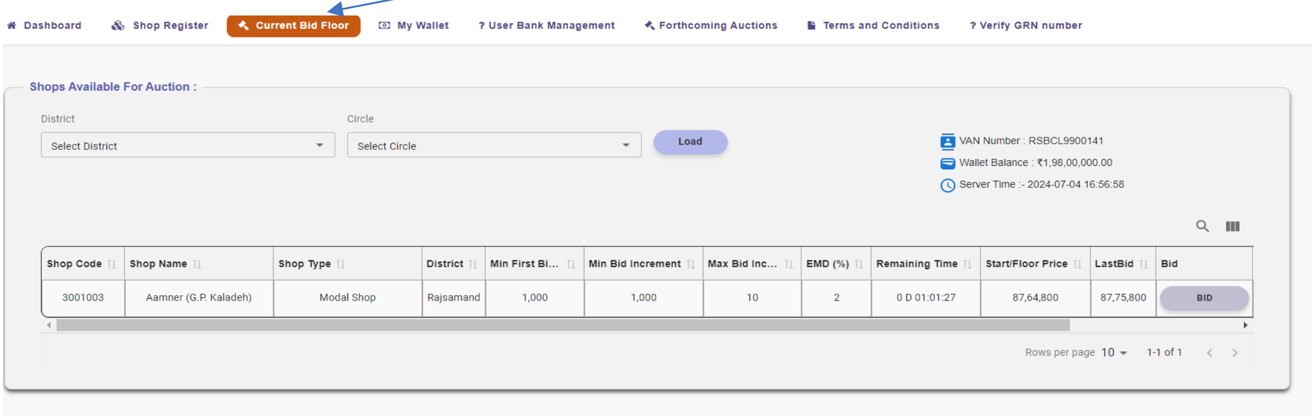

"More Option" बटन पर क्लिक कर प्रदर्शित सूची में आवश्यकतानुसार कॉलम देखे अथवा हटाये जा सकते हैं :-

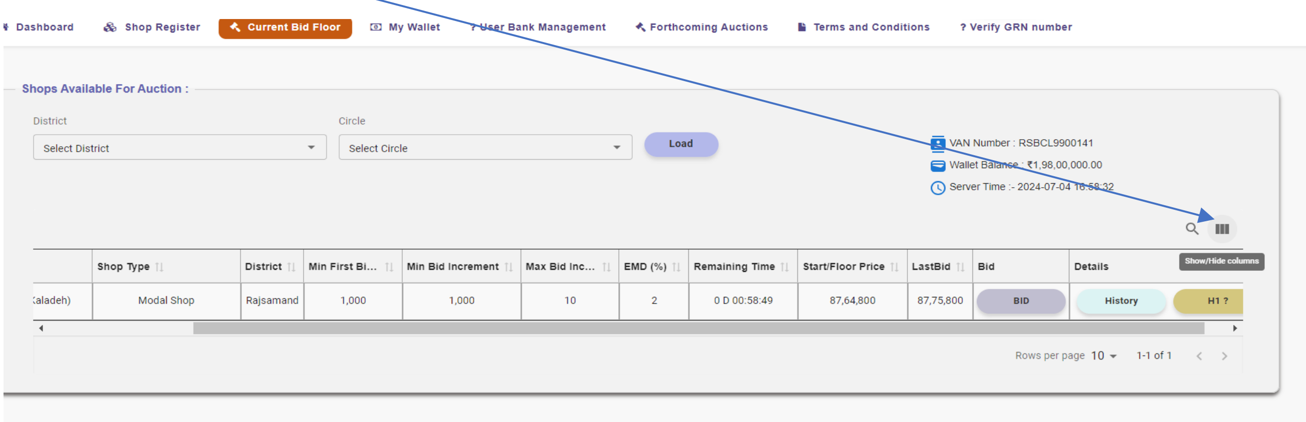

इस लिस्ट से बोलीदाता अपनी आवश्यकतानुसार कौनसे कॉलम को देखना है अथवा हटाना है चुन सकते है |

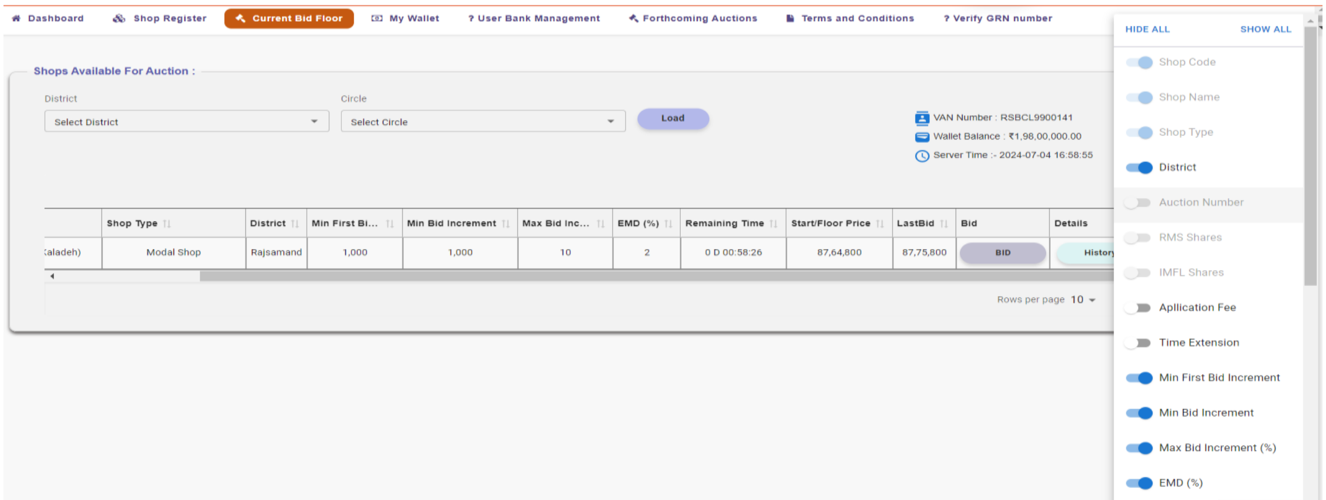

ई – ऑक्शन शुरू होने के पश्चात् ऑक्शन में भाग लेने के लिए "BID" बटन पर क्लिक करें :-

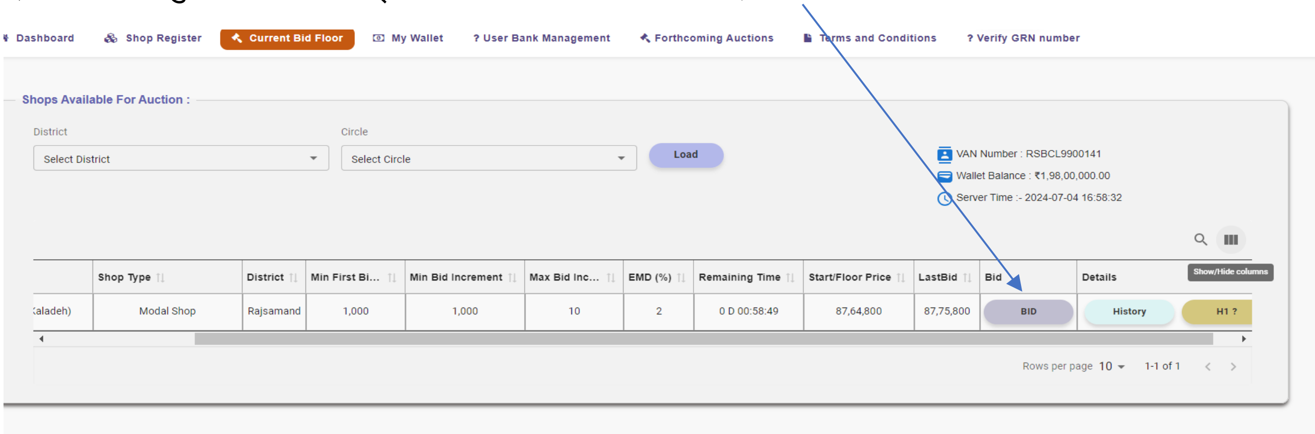

निम्नानुसार स्क्रीन पर अन्तिम बोली दर्शित होगी | बोलीदाता द्वारा इस पर कितनी राशि अधिक से बोली लगाई जानी है को “Min. Bid Increment” कॉलम में + चिन्ह को क्लिक करते हुए बढ़ाई जाएगी | इस कॉलम में दर्शित राशि “Min. Bid Increment” कॉलम में अन्तिम बोली में बढ़ कर प्रदर्शित होती रहेगी | उक्त कुल राशि नीचे की और शब्दों में भी दर्शित होगी |

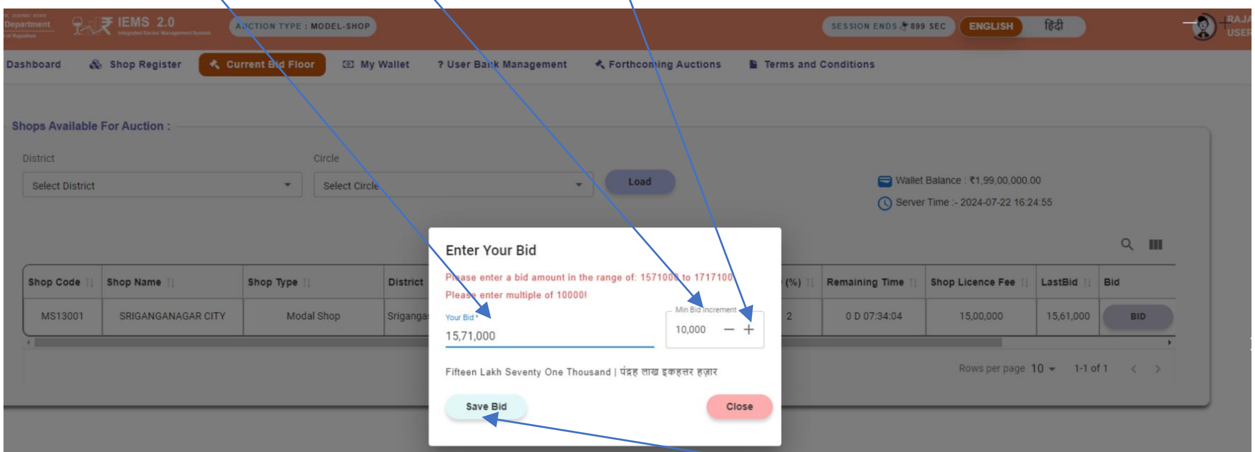

बोलीदाता द्वारा लगाई जाने वाली बोली के बराबर राशि दर्शित होने के उपरान्त “Save Bid” बटन पर क्लिक कर बोली को दर्ज करें | अन्तिम रूप से बोली दर्ज होने से पहले सॉफ्टवेयर द्वारा बोली को कन्फर्म किया जायेगा | बोली को कन्फर्म करने के लिए “Yes” बटन पर क्लिक करें :-

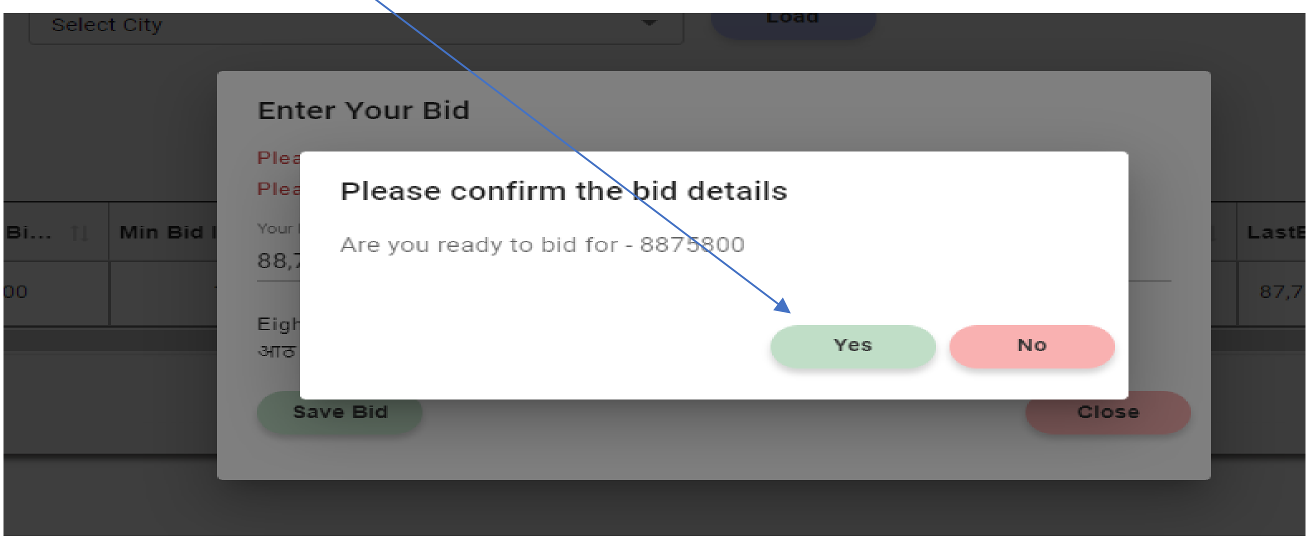

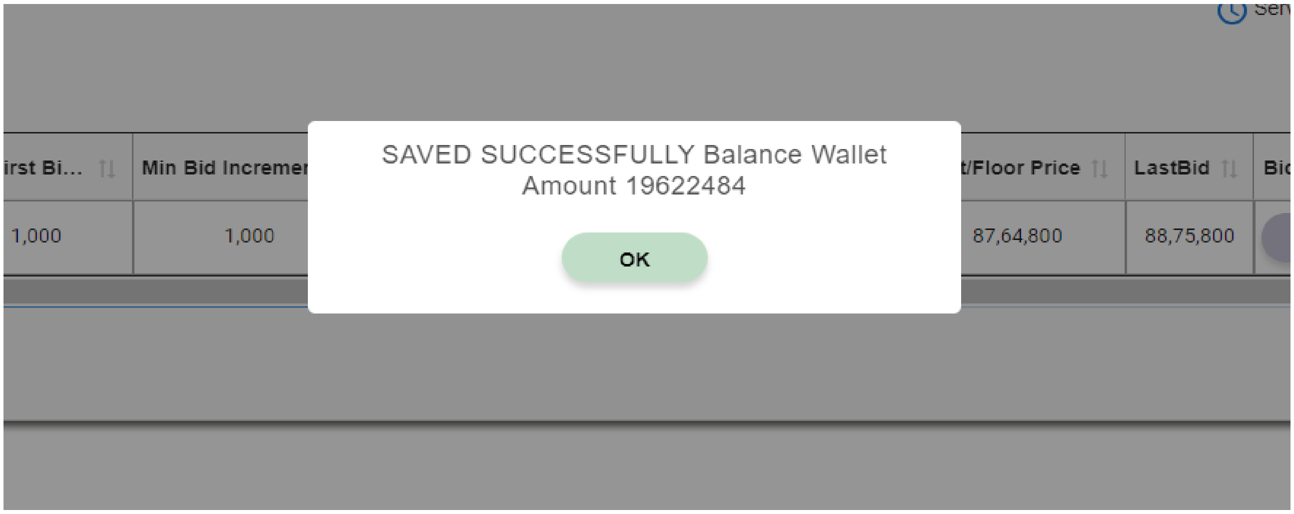

<u>उक्त लगाई गई बोली की राशि के अनुसार निर्धारित दर पर EMD देय होगी जो कि Bidder के वॉलेट में से स्वतः ही कट जायेगी| अतः Bidder को बोली लगाने से पूर्व पर्याप्त राशि अपने वॉलेट में रखनी चाहिये क्योंकि बोली लगाने के लिए वांछित राशि से कम राशि होने की स्थिति में Bidder द्वारा बोली नहीं लगाई जा सकेगी|</u>

बोलीदाता ई-ऑक्शन में लगाई गई समस्त बोलियों की History **को** “History” **बटन पर क्लिक कर** देख सकते हैं

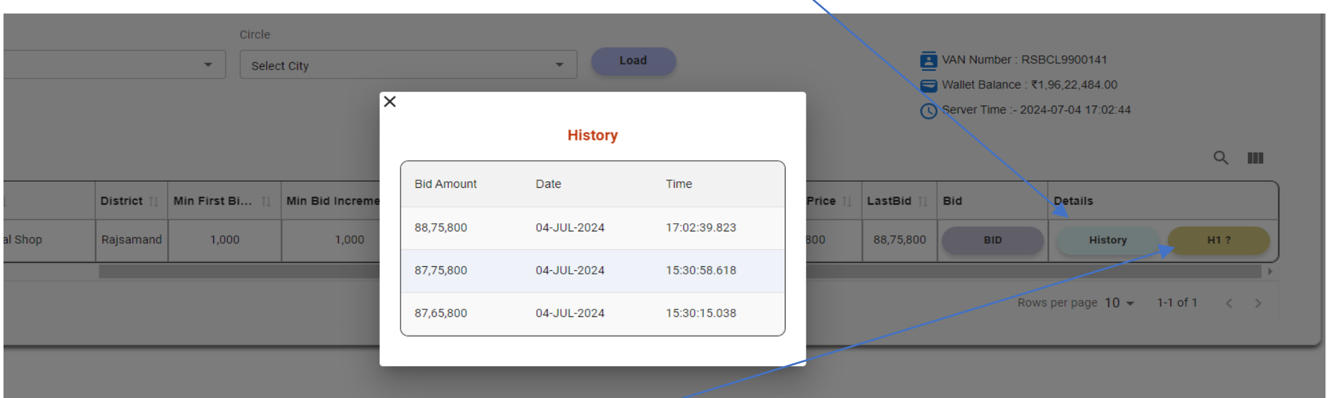

Bidder बोली में H1 है या नहीं की स्थिति “H1” बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं |

<u>ई–ऑक्शन प्रक्रिया में बोलियाँ निगम द्वारा प्रकाशित की गई अधिसूचना के अनुसार ही लगाई जा सकेंगी एवं उसी अनुसार ई–ऑक्शन प्रक्रिया निर्धारित समय पर स्वतः ही बन्द हो जाएगी |</u>